

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम सुपौल

जमानत आवेदन- 401 / 26

त्रिवेणीगंज थाना कांड सं०- 293 / 2020

	नीरज यादव उर्फ नीरज कुमार, पिता- दिलीप कुमार यादव, सा०- परसा, थाना- शंकरपुर जिला- मधेपुरा.....आवेदक बनाम् बिहार सरकार.....विपक्षी	
14/07/26	काराधीन अभियुक्त नीरज यादव उर्फ नीरज कुमार की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार मेहता के द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है एवं उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी आवेदक की ओर से इस जमानत आवेदन से पूर्व में अन्य कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है बल्कि अप्राथमिकी अभियुक्त रूपेश कुमार उर्फ कनझटका के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उसे इस काण्ड में नामजद किया गया है। सह-अभियुक्त पप्पु यादव के पिता से प्रार्थी अभियुक्त के पिता के बीच लेनदेन का विवाद था जिस कारण उसे झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त के पास से लूट का कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ है तथा पुलिस द्वारा टी०आई०पी० भी नहीं कराई गयी है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया आरोप आकर्षित नहीं होता है। प्रार्थी आवेदक पढ़ने वाला छात्र है और बाहर रहकर प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी करता है। अन्य सह-अभियुक्त पप्पु यादव एवं सोनु कुमार को पूर्व में इसी न्यायालय से जमानत आवेदन सं० 506/23 एवं 171/26 द्वारा नियमित जमानत प्रदान की गयी है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 09/04/26 से काराधीन है तथा सक्षम जमानतदार देने एवं न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार है। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं। विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री कमल नारायण यादव द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। प्रस्तुत वाद सूचक अमलेश मिश्रा के फर्द बयान के आधार पर धारा 392 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत त्रिवेणीगंज थाना काण्ड सं० 293/20 दर्ज किया गया है। सूचक का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 05/10/20 को 09.30 बजे अपने मोटरसाइकिल से त्रिवेणीगंज आया एवं अपने कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर यशपाल सिंह से उसके गौदाम पर मिला तथा योजना अनुसार अपने मोटरसाइकिल से यशपाल सिंह के साथ कंपनी का प्रचार प्रसार एवं मोर्केटिंग के लिए जदिया व छातापुर थाना क्षेत्र के लिए दस बजे निकला। सूचक अपने मोटरसाइकिल से यशपाल सिंह को लेकर जदिया एवं छातापुर थाना क्षेत्र में रुपया वसूल कर त्रिवेणीगंज के लिए चला। करीब 1 बजे दिन में लक्ष्मिनियां पुल से पूरब करीब 50 मीटर की दूरी पर थे कि अचानक एक लाल काला रंग प्लसर मोटरसाइकिल पर सवार तीन व्यक्ति ने सूचक के मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर आगे में रोक दिया जिस कारण सूचक भी अपना मोटरसाइकिल रोक दिया। उस प्लसर मोटरसाइकिल से उतर कर दो आदमी सूचक के पास आया और बोला कि पैसा लाओ। उसमें से एक व्यक्ति युवा था जिसके हाथ में पिस्तौल था। सूचक का ब्लू रंग का लैपटॉप बैग जिसमें सूचक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, कंपनी का कागजात, सैम्पल, इंडियन बैंक का ए०टी०एम०, सैन्टल बैंक का पासबुक था वह बैग ले लिया। उसके बाद सूचक के पॉकेट से उसका पर्श एवं पर्श में मोटरसाइकिल का निबंधन कार्ड व चालक लाईसेंस था, निकाल लिया। दूसरा व्यक्ति जो नवयुवक लग रहा था वह यशपाल सिंह के जेब में हाथ डालकर पैसा निकाला। इसी बीच जिसके हाथ में पिस्तौल था वह बोला कि मारो साले को एवं डराने के लिए उपर तरफ फायर किया। दूसरा व्यक्ति यशपाल सिंह के जेब से कुल बीस हजार रुपया नगद निकाल लिया। तीनों अपराधी देखने में युवा था। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों उसी मोटरसाइकिल पर सवार होकर पूरब की ओर जदिया तरफ भाग गया। उक्त मोटरसाइकिल पर नंबर BR 38 9331 था। अपराधी लोग सूचक का मोबाईल भी ले लिया जिसमें दो सीम भी लगा था। उभय पक्ष को सुना। अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्त प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त नहीं है। अनुसंधान के क्रम में	लगातार.....

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम सुपौल

जमानत आवेदन- 401 / 26

त्रिवेणीगंज थाना कांड सं०- 293 / 2020

14/07/26 लगातार	सह-अभियुक्त रूपेश कुमार उर्फ कनझटका के स्वीकारोक्ति बयान (पैरा- 31) के आधार पर प्रार्थी अभियुक्त का नाम इस काण्ड में आया है। प्रार्थी के पास से लूटी गई कोई सामग्री बरामद नहीं हुई है और न ही पहचान परेड कराई गयी है। संपूर्ण मूल एवं पूरक कांड दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सह अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान के अतिरिक्त प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य कोई सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। वाद के सह अभियुक्त रूपेश कुमार जिसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर प्रार्थी अभियुक्त का नाम इस काण्ड में आया है उसे माननीय उच्च न्यायालय पटना के क्रि० मिस० 664/2022 में दिनांक 21/03/2022 को पारित आदेश द्वारा नियमित जमानत प्रदान की गयी है तथा अन्य सह-अभियुक्त पप्पु यादव एवं सोनु कुमार को पूर्व में इसी न्यायालय से जमानत आवेदन सं० 506/23 एवं 171/26 द्वारा दिनांक 01/07/23 एवं 26/05/26 को नियमित जमानत प्रदान की गयी है तथा प्रार्थी अभियुक्त का मामला समान स्तर पर है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 09/04/2026 यथा तीन महिने से अधिक समय से काराधीन है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों में प्रार्थी अभियुक्त द्वारा कारा में बिताई गई अवधि को देखते हुए प्रार्थी अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता हैं। तदनुसार प्रार्थी आवेदक नीरज कुमार उर्फ नीरज यादव की ओर से मो० 10,000/- रुपये के व्यक्तिगत एवं सामान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ जमानत बंध-पत्र दाखिल करने पर विद्वान निम्न न्यायालय के संतुष्टि पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। लेखापित (दिलीप कुमार सिंह) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम-सह- विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०) सुपौल	
----------------------------	---	--